

# राज्यपाल

- अनुच्छेद- १५२ राज्य का एक राज्यपाल होगा।
- अनुच्छेद- १५३ कुछ राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है।
- अनुच्छेद- १५५ राष्ट्रपति द्वारा केन्द्र सरकार की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति होगी।
- अनुच्छेद- १५६ राज्यपाल का कार्यकाल ५ वर्ष होगा।
- राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रदानत पद धारण करेंगे।
- राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार राज्यपाल पदच्युत हो सकते हैं।
- अनुच्छेद- १५७ राज्यपाल की योग्यता

- भारत का नागरिक हो
- ३५ वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो
- किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो
- संसद विधान मंडल के सदस्य ना हो
- अनुच्छेद १५९ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाएगी
- अनुच्छेद – १६१ राज्यपाल केवल राज्य सूची के विषय पर ही क्षमादान दे सकते हैं

- अनुच्छेद – २१३ आपातकालीन स्थिति में राज्यपाल स्वयं हस्ताक्षर से किसी भी अध्यादेश को कानून बना सकते हैं
- अनुच्छेद – ३३३ एक एंग्लो इंडियन का मनोनयन